राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1499/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
प्रेमलता व्यास गुवाड का चौक शिव मंदिर के पास, Bikaner,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव मंत्रीमण्डल सचिवालय Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 03/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री संजय शर्मा, अनुभागाधिकारी उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 30-06-2017 के द्वारा मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 22-09-2016 पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर अपीलार्थी को पत्र दिनांक 17-07-2017 से सूचना प्रेषित करदी गई थी कि आवेदन में वांछित सूचना से संबंधित पत्र विभाग द्वारा शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को भिजवा दिये गये थे। प्रथम अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 24-08-2017 से अपील खारिज की गई है। राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित सूचना को पर्याप्त माना है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 24-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 17-7-2017 व 24-8-2017 की प्रति संलग्न की है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त